न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या : 117/2021
GCMS NO. : 2021/190

–: प्रार्थीगण :–	बनाम	–: अप्रार्थीगण :–
1. भंवरू पुत्र गेपर 2. छोगा पुत्र गेपर फौत के का.मु. 2.1 भगवान पुत्र छोगा 2.2 ओमप्रकाश पुत्र छोगा 2.3 सुखाराम पुत्र छोगा 2.4 श्यामलाल पुत्र छोगा 2.5 गणकी पुत्री छोगा 2.6 ममता पुत्री छोगा नाबालिग जरिए संरक्षक भगवानराम पुत्र छोगाराम, जाति– गुर्जर, निवासी– बांझाकुड़ी, तहसील– जैतारण जिला– पाली (राज.)।		1. पुखाराम पुत्र गोदाराम 2. राणाराम पुत्र पुखाराम जातियान गुर्जर निवासीगण बांझाकुडी तहसील जैतारण, जिला पाली।

राजस्वप्रार्थना पत्रबाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955
तारीख रजू:–26.07.2021

उपस्थितः–

1. श्री महेन्द्र प्रजापत बलून्दा, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।

–:: निर्णय ::– दिनॉकः– 28/07/2022

वकील मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सायलान की पैतृक व पुश्तैनी खातेदारी एंव कब्जे काश्त की भूमि सरहद मौजा बांजाकुडी पटवार हल्का बाजांकुडी भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जैतारण तहसील जैतारण जिला पाली मे वाके आराजी खसरा नम्बर 858/2 कुल रकबा 0.3157 हैक्टेयर किस्म बारानी दौयम की आई हुई है। जिसमे वादी का बाडा बना हुआ है उक्त बाडे के उत्तर दिशा मे रास्ता व दक्षिण दिशा मे गैरसायलान का बाडा व मकान व पूर्व व पश्चिम दिशा मे आम रास्ता व निकाल है उक्त बाडे का सायलान भँवरू 1/2 का व शेष सायलान 2 से लगायत 6 का 1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है तथा निरन्तर शान्ति पूर्वक उपयोग उपभोग मे लेते आ रहे है। नकल प्रमाणित चालू जमाबंदी व नक्शा ट्रेस व मौके के फोटोग्राफ प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत है। सायलान पिढियो से उक्त भूमि पर काबिज होकर शान्ति पूर्वक तरीके से काश्त करते आ रहे है तथा सायलान की उक्त भूमि के दक्षिणी दिशा मे गैरसायलान ने डोली की जमीन पर अवैध व गैरकानूनी रूप से कब्जा कर अपने मकान बनाकर आवास रहवास कर रखा है। गैरसायलान द्वारा सायलान

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:46:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

की उक्त खातेदारी एंव कब्जे काश्त की जमीन में अतिक्रमण करना चाहते है गैरसायलान आये दिन सायलान के पालिये के साथ छेड छाड करते है तथा सायलान के पालिये पर रखे कांटो को हटा देते है तथा सायलान को ऐलानिया धमकी देते है कि हम लोग लाठी व लकडी के बल पर तुम्हारी खातेदारी एंव कब्जे काश्त की भूमि मे कातले रोप कर अतिक्रमण करेंगे तुम लोग हमारा कुछ नही बिगाड सकते हो हम कोर्ट कचहरी व पुलिस थाने से नही डरते है इस प्रकार गैरसायलान नाजायज रूप से सायलान के खातेदारी एंव कब्जे काश्त के बाडे पर अतिक्रमण करना चाहते है जबकि कानूनन गैरसायलान को सायलान के खातेदारी एंव कब्जा काश्त के बाडे पर अतिक्रमण करने का कोई कानूनी या विधिक अधिकार नही है। इस प्रकार गैरसायलान ने दिनांक 09.07.2021 को सायलान को ऐलानिया धमकी देकर कहा है कि हम चार पांच दिन बाद में मौके पर अतिक्रमण करके लाठी के बल पर जबरदस्ती कातले रोप कर कब्जा करेगे तुम्हारे से जो हो वह कर लेना। इस प्रकार सायलान को गैरसायलान आये दिन तंग व परेशान करते है तथा सायलान के पालिये के पास खड़े बबुल के पेड़ को जबरदस्ती काट लेते हैं जबकि सायलान का पिढियो से अपने उक्त खातेदारी एंव कब्जा काश्त सुदा बाडे पर शान्ति पूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। तथा गैरसायलान की जानकारी में निरन्तर उपयोग उपभोग में लेते आ रहे है अब गैरसायलान की नियत खराब हो गयी है तथा गैरसायलान द्वारा अपने बाडे व मकान की सीमा सायलान के खातेदारी एंव कब्जे काश्त सुदा बाड़े में बता कर कब्जा करना चाहते है जबकि गैरसायलान स्वयं डोली की जमीन पर काबिज होकर मकान बना कर परिवार सहित रह रहे है ऐसी स्थिती में गैरसायलान द्वारा गैरकानूनी रूप से सायलान के बाड़े मे कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए गैरसायलान को ऐसा दुष्कृत्य करने से रोका जाना न्यायतन आवश्यक है अगर गैरसायलान द्वारा अवैध रूप से व गैरकानूनी रूप से सायलान के हक हिस्से एंव खातेदारी भूमि मे अवैधा रूप से कब्जा करने में सफल हो जाते है तो सायलान को अपने साम्पैतिक हक व अधिकारो से महरूम होना पडेगा तथा सायलान को असीम हानि होगी जिसका मूल्यांकन रूपयो के रूप में नहीं आंका जा सकेगा। ऐसी स्थिती मे सायलान द्वारा गैरसायलान का प्रबल विरोध किया जायेगा जिससे मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स होगी इसलिए हर दृष्टीकोण से व सायलान के दस्तावेजात के आधार पर व मौके पर कब्जा काश्त के आधार पर सुविधा का सन्तुलन भी सायलान के पक्ष मे बखुबी साबित है। इस प्रकार गैरसायलान द्वारा गैरकानूनी रूप से सायलान के बाडे मे अवैध रूप से अतिक्रमण कर कब्जा करने हेतू कातले रोपने पर आमादा है। जिसे रोका जाना न्यायतन आवश्यक है इसलिए सायलान ने यह प्रार्थना पत्र विरुद्ध गैरसायलान [illegible] का पेश किया जा रहा है। अतः सायलान द्वारा प्रस्तुत राजस्व [illegible] ट्रेस तथा मौके के फोटोग्राफ तथा सायलान का मौके पर उक्त बाड़े पर होने [illegible] प्रथम दृष्टया मामला बखुबी सायलान के पक्ष मे साबित है तथा गैरसायलान द्वारा सायलान की उक्त बाडे मे

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:46:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

केसी प्रकार का नाजायज रूप से अवैध अतिक्रमण या कब्जा कर लिया जाता है तो सायलान को असीम हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति का मूल्यांकन रूपयो मे नही आंका जा सकता है तथा गैरसायलान ने डोली की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर अपना मकान बना रखा है तथा अवैध कब्जे की ओट में सायलान की खातेदारी व कब्जे काश्त के बाड़े मे अवैध अतिक्रमण व कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है जबकि कानूनन गैरसायलान को कोई विधिक अधिकार नहीं है। इस प्रकार हर दृष्टिकोण से सुविधा का सन्तुलन भी सायलान के पक्ष मे बख्रुबी साबित है। इसलिए सायलान के खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा बाडे के दक्षिणी दिशा मे मे गैरसायलान द्वारा किसी प्रकार का कोई अवैध रूप से कब्जा या अतिक्रमण नही किया जावे। तथा किसी प्रकार की कोई उखरडी वगैरा गैरसायलान नही बनावे तथा गैरसायलान द्वारा सायलान के खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा बाडे की दक्षिण दिशा में स्थित पालिये को खुर्द बुर्द नही करे तथा पालिया के अन्दर सायलान की तरफ कोई खाद की उखरडी नही करे तथा न ही किसी प्रकार के कोई कातले रोप कर अवैध कब्जा करे तथा न ही किसी प्रकार का कोई कच्चा या पक्का निर्माण कार्य करे ऐसा करने से गैरसायलान को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा के मूल बाद के निर्णय तक रोका जावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस/सम्मन तलब किया। अप्रार्थीगण संख्या 01 से 02 को बार बार आवाजे दिलाई गई बावजूद सम्मन सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। पत्रावली मय दस्तावेजात, गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावाली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन व विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिंदूवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार हैः–

(01) प्रथम दृष्ट्या मामला :– वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् वादपत्र प्रस्तुत कर हस्तगत अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत् प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम बांझाकुड़ी वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 858/2 में प्रार्थी भंवरू 1/2 हिस्से का तथा शेष 1/2 का अप्रार्थीगण सहखातेदार है। अप्रार्थीगण प्रार्थी के कब्जे काश्त की जमीन पर अतिक्रमण करना चाहते है जिन्हे कानूनन रोका जाना आवश्यक है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में निहित है।

प्रकरण में अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही हो चूकी है। वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख जमाबंदी ग्राम बांझाकुड़ी संवत 2073 से 2076 एवं प्रार्थी के प्रार्थना पत्र से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त अविभाजित सहखातेदारी भूमि है। तथा ऐसी भूमि के संबंध में जब तक कानूनन बंटवाड़ा नही करवा लिया जाता है तब तक कोई भी एक सहखातेदार किसी विशिष्ट भू

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:46:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

भाग के अपना होने का दावा नही कर सकता है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होने से यह बिन्दू प्रार्थी के विरुद्ध निर्णित किया जाता है।

(02) सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति :- चुंकि प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के विरुद्ध निर्णित हुआ हैं, साथ ही वादग्रस्त आराजी उभयपक्ष की अविभाजित सहखातेदारी भूमि है तथा प्रार्थी द्वारा बंटवाड़े का अनुतोष चाहे बिना सहखातेदार अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा की मांग की है, ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण भूमि के संबंध में प्रार्थी के पक्ष में सुविधा का संतुलन होना नही माना जा सकता है। तथा सहखातेदार होने के बावजूद केवल अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने से अप्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति संभव है। लिहाजा उपर्युक्त दोनो बिन्दू भली भांति साबित नही होने से प्रार्थी के विरुद्ध निर्णित किए जाते है।

अतः उपर्युक्त बिंदूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी प्रार्थना-पत्र साबित करनें में पूर्णतया असफल रहा हैं, अतः प्रार्थना-पत्र अस्वीकार/खारिज किया जाना पूर्णतया विधि सम्मत् एवं उचित रहेगा।

-: आदेश :-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण/वादीगण अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली-भाँति साबित नहीं होनें एवं सारहीन होनें से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी निमित निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला-पाली)

निर्णय आज दिनॉक 28/07/2022 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला-पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:46:18 IST
Reason: SelfAttested